



हत्या की घटना में वांछित 10 हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि दिनांक 21.09.2021 को समय करीब 8.15 बजे रात्रि भाला से हमला व तमंचा से फायर करते हुये गोली मारकर श्रीराम प्रजापति पुत्र देवीदीन निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर की हत्या की गयी थी। जिसके संबंध में थाना मौदहा में मु0अ0सं0-280/2021, धारा-302 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक मौदहा को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹10000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23/09/2021 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बरदानी निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा को दानी तालाब स्थित काली मन्दिर के पीछे ग्राम अरतरा से प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना मौदहा पर मु0अ0सं0-282/2021, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

➤ बरदानी पुत्र कन्धी पनिवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 280/2021 धारा 302 भा0द0सं0 थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 282/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा पवन कुमार पटेल
2. उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव थाना मौदहा
3. कांस्टेबल गौरव भदौरिया थाना मौदहा
4. कांस्टेबल मनीष पाल थाना मौदहा

